संचिका सं0:–14/डी0एल0ए0 मुक0 (प्रथम अपील)–सीतामढ़ी–43/2023–...54...../रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

ई–मेल

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक:–14:01:26

विषय:– व्यवहार/प्राधिकार न्यायालयों द्वारा भू–अर्जन वादों में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में ससमय LPA/ प्रथम अपील दायर करने के निमति आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक–1641/रा0, दिनांक–18.12.2023

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय। प्रासंगिक पत्र से माननीय व्यवहार/प्राधिकार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, पटना मे LPA/ प्रथम अपील दायर किये जाने के निमित्त प्रस्ताव अधिनियम मे निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से निदेश प्रेषित है।

2– इस संबंध में समाहर्त्ता, भोजपुर, नालंदा एवं मुजफ्फरपुर से भू–अर्जन के मामलों मे माननीय व्यवहार/प्राधिकार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे LPA/ प्रथम अपील दायर किये जाने के निमित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त के परिशीलन से यह स्पष्ट हुआ है कि माननीय व्यवहार/प्राधिकार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे LPA/ प्रथम अपील दायर किये जाने हेतु कार्रवाई निर्धारित समय–सीमा में नहीं की गई है।

3– ज्ञातव्य हो कि भू–अर्जन अधिनियम,2013 की धारा–74 के तहत् माननीय व्यवहार/ प्राधिकार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 60 दिनों के अंदर अपील दायर किये जाने की कार्रवाई की जानी है। मामलों में ससमय अपील दायर नहीं किये की स्थिति मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कतिपय मामलों में प्रतिकूल आदेश पारित किया जा रहा है, जिससे राज्य/केन्द्र सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ वहन करना पड़ता है। इस हेतु आवश्यक है कि मामले से संबंधित सभी तथ्यों के साथ विवरणी एवं अनुरोध पत्र ससमय विभाग को उपलब्ध करायी जाय, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दायर करने की कार्रवाई की जा सके।

4– अतएव भू–अर्जन से प्रभावित मामलों में व्यवहार/प्राधिकार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में LPA/ प्रथम अपील दायर किये जाने का मामला बनता हो तो, भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत् निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन करते हुए तथ्य विवरणी सभी सुसंगत कागजात के साथ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में निर्धारित समय–सीमा में याचिका/अपील/एल0पी0ए0 दायर करने की कार्रवाई की जा सके। निर्धारित समय–सीमा में तत्संबंधित प्रस्ताव कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता है एवं ऐसे मामलों में जयघोष की राशि की स्वीकृति की अपेक्षा की जाती है, तो इसके लिए संबंधित कर्मी/पदाधिकारी की जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन के साथ ही जयघोष की राशि की स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5– उपर्युक्त निदेश का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
14/1/2026
(गोपाल मीणा),
सचिव।

ज्ञापांक:–...54...../रा0, पटना, दिनांक:–14:01:26

प्रतिलिपि:–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/1/2026
(गोपाल मीणा),
सचिव।

पत्रांकः–14/डी0एल0ए0 मुक0 (एस0एल0पी0) खगड़िया–37/2023 1641 /रा0

बिहार सरकार

ई–मेल

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक

सुशील कुमार, भा0प्र0से0,
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 18-12-23

विषयः– **एफ0ए0 नं0–120/2018 राज्य सरकार बनाम कौशलेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य तथा एफ0ए0 नं0–155/2019 राज्य सरकार बनाम राकेश कुमार एवं अन्य में दिनांक–26.09.2023 को पारित आदेश के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटन द्वारा एफ0ए0 नं0–120/2018 राज्य सरकार बनाम कौशलेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य में दिनांक–18.08 2023 को एवं एफ0ए0 नं0–155/2019 राज्य सरकार बनाम राकेश कुमार एवं अन्य में दिनांक–26.09 2023 को आदेश पारित कर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वार दिनांक–26.09.2023 को पारित आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

> **"9. Considering the submissions of both the parties and also from the aforesaid decisions, I am of the view that Section 5 of the Limitation Act shall not be applicable. Hence, this appeal is incompetent, which has been filed after lapse of 120 days and the application of Section 5 of the Limitation Act also precluded.**
>
> **10. In the aforesaid facts and circumstances of the case, Interlocutory Application No. 01 of 2022 is dismissed. Consequent upon dismissal of I.A. No. 01 of 2022, this First Appeal is also dismissed as time barred."**

2– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि प्राधिकार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर करने में विलंब किया गया है, जिसके फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा उक्त टिप्पणी के साथ याचिका की समीक्षा किये बिना खारिज कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय में ससमय प्रथम अपील नहीं दायर किये जाने के फलस्वरूप प्राधिकार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य/केन्द्र सरकार पर अत्यधिक वितीय बोझ पड़ेगी।

3– उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के विलंब के मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा भी गंभीर टिप्पणी करते हुए परिसिमन अधिनियम (Limitation Act) के सुसंगत प्रावधानों के तहत ससमय मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने से संबंधित निदेश दिये गये हैं। जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

(53)

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर कि जाने का मामला यदि बनता हो तो संबंधित कारणों के साथ निर्धारित समय–सीमा में ही दायर कर की कार्रवाई की जाय, ताकि परिसिमन अधिनियम (Limitation Act) की धारा–5 से मामला प्रभावित हो।

5– उक्त का अनुपालन किये जाने से संबंधित निदेश अपने स्तर से सभी संबंधित को देने की कृपा की जाय, साथ ही उन्हें इस तथ्य से भी अवगत कराया जाय कि इसमें कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जाएगी।

6– अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

(सुशील कुमार)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक– 1641 /रा0, पटना, दिनांकः– 18-12-23

प्रतिलिपिः–सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक– 1641 /रा0, पटना, दिनांकः– 18-12-23

प्रतिलिपिः–विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक– 1641 /रा0, पटना, दिनांकः– 18-12-23

प्रतिलिपिः–विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभाग के वेबसाइट पर यथास्थान प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।